झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

कार्यालय आदेश

झारखंड सचिवालय सेवा के तहत सहायक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 155 दिनांक 10.06.2016 द्वारा श्री शशि कुमार दास को सहायक के पद पर नियुक्त करते हुए योजना–सह–वित्त विभाग में पदस्थापित किया गया।

2. श्री दास द्वारा अस्वस्थ रहने की सूचना देते हुए योगदान देने हेतु समय–सीमा विस्तारित करने का अनुरोध किया गया, परन्तु इस विभाग द्वारा उन्हें नव पदस्थापित विभाग में यथाशीघ्र योगदान देने हेतु निदेशित किया गया तथा योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में उन्हें स्मारित भी किया गया।

3. उक्त क्रम में पुनः श्री दास द्वारा यह सूचित किया गया कि उन्होंने Central Excise विभाग में योगदान कर लिया है तथा वे अस्वस्थता एवं ट्रेनिंग में व्यस्त रहने के कारण सचिवालय सहायक के पद पर योगदान नहीं कर सके एवं सहायक के पद पर योगदान हेतु एक माह का समय देने का अनुरोध किया गया ।

4. इस परिप्रेक्ष्य श्री दास को दिनांक 14.01.2017 तक अपना योगदान योजना–सह–वित्त विभाग में समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया तथा इस आशय की सूचना श्री दास को दी गई कि उक्त अवधि में योगदान नहीं करने पर नियमानुसार उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

5. उक्त आदेश के क्रम में श्री दास द्वारा दिनांक 28.02.2017 अर्थात लगभग डेढ़ माह विलंब से अपना योगदान योजना–सह–वित्त विभाग में दिया गया।

6. तदनुसार योजना--सह–वित्त विभाग द्वारा श्री दास, नव नियुक्त सहायक के योगदान स्वीकृति के संबंध में इस विभाग से परामर्श की अपेक्षा की गई। उक्त के आलोक में योजना–सह–वित्त विभाग को यह परामर्शित किया गया कि यदि श्री दास पूर्ववर्त्ती विभाग से विरमित नहीं हुए हैं, तो उनके पूर्ववर्त्ती विभाग (Central Excise) से विधिवत विरमित होकर योगदान करने पर ही योगदान स्वीकृति की कार्रवाई की जाय। साथ ही श्री दास को एक सप्ताह के अंदर विधिवत पूर्ववर्त्ती विभाग से विरमित होकर नव पदस्थापित विभाग में योगदान करने का निदेश दें, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

7. योजना–सह–वित्त विभाग यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री दास को अपने पूर्ववर्त्ती विभाग से विधिवत विरमित होकर योगदान करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री दास द्वारा अपने पूर्ववर्त्ती विभाग से विधिवत विरमित होकर विभाग में योगदान नहीं दिया गया है। तदुपरांत योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा श्री दास की अभ्यर्थिता समाप्त करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

8. श्री दास से संबंधित विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र॰ सं॰	मेधा क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	स्थायी पता	रौल नं0	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6
1	47	श्री शशि कुमार दास, पिता– श्री महादेव दास, ग्राम – बन्दाचक, पो0– गोमो बरवाडीह, थाना–जयनगर, जिला–कोडरमा, झारखंड – 825409	पिता– श्री महादेव दास, ग्राम– बन्दाचक, पो0–गोमो बरवाडीह, थाना– जयनगर, जिला– कोडरमा, झारखंड–825409	220140034	अनारक्षित

9. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री दास को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी सहायक के पद पर विधिवत योगदान नहीं करने के कारण एवं योजना–सह–वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में उनकी सहायक के पद पर नियुक्ति की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

ह0/–
(सतीश कुमार जायसवाल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 7/नियुक्ति–001/2016 का॰......................../ राँची, दिनांक........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची/संबंधित अभ्यर्थी को उनके स्थायी एवं पत्राचार पते पर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 7/नियुक्ति–001/2016 का॰....36..../ राँची, दिनांक....16/2/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–HRMS नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.2.18

सरकार के उप सचिव।